न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अरवल।

जी0 आर0 नं0– 412 /2024

अरवल थाना काण्ड संख्या 123/2024

06.08.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामले में कार्यालय के द्वारा आज मामले में दिनांक– 27.04.24 को प्रस्तुत आरोप पत्र को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत आरोप पत्र अभियुक्तगण 1. रौशन कुमार, 2. मुकेश कुमार के विरूद्ध भा0 द0 वि0 की धारा– 323, 341, 504/34 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या 112/24 दिनांक 27.04.2024 समर्पित किया गया है। प्रस्तुत मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। प्रथम सूचना प्रतिवेदन, आरोप पत्र एवं कांड दैनिकी के पैरा– 1, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 31, 32 का अवलोकन किया। चूंकि मामले में अभियुक्तगण 1. रौशन कुमार, 2. मुकेश कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र भा0 द0 वि0 की धारा– 323, 341, 504/34 भा0 द0 वि0 में समर्पित हो चुका है। अतः मामले में न्यायालय आरोप–पत्र में वर्णित अभियुक्तगण 1. रौशन कुमार, 2. मुकेश कुमार के विरूद्ध भा0 द0 वि0 की धारा– 323, 341, 504/34 में प्रथम दृष्टया कार्रवाई करने का आधार पाती है। अतः भा0 द0 वि0 की धारा– 323, 341, 504/34 में सभी अभियुक्तगण **1. रौशन कुमार, 2. मुकेश कुमार** के विरूद्ध **संज्ञान** लिया जाता है। अभिलेख को निजी संचिका में रखा जाता है। कार्यालय अभियुक्तगण के विरूद्ध समन निर्गत करे।

वाद दिनांक 07/9/24 वास्ते उपस्थिति।

लेखापित,

Manish K Pandey 06.08.24

(मनीष कुमार पाण्डेय)

(जे0 ओ0 कोड बी0 आर0 00961)

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,अरवल।

Civil Court Arwal